संख्या–40 / 2023 / 1977 / 77–6–23–2(एम) / 2022टीसी–3

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा / नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यूपीडा / यीडा / गीडा / सीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2023**

विषय– 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के प्रस्तर–12.7 में प्राविधानित अवस्थापना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश तथा कियान्वयन प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि शासनादेश सं. 45 / 2022 / 2770 / 77–6–2022–2(एम) / 2022, दिनांक 04.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 प्रख्यापित की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर–12.7 में अवस्थापना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान किया गया है। अवस्थापना परियोजनाओं को उक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश एवं कियान्वयन की प्रकिया निम्नवत निर्धारित की जा रही है:–

2. परिभाषायें–

2.1 उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्राविधानों में उपयुक्तता एवं परिभाषाएं इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों को व्यवहृत करने में लागू होंगे, जो निम्नवत हैं:–

2.1.1 प्रभावी तिथि का आशय नीति के अधिसूचित होने की तिथि (04.11.2022) से है।

2.1.2 प्रभावी अवधि का अभिप्राय प्रभावी तिथि से प्रारम्भ होकर उस अवधि तक है, जब तक नीति प्रवृत्त (05 वर्ष) रहती है अथवा जबतक राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन या इसे निरसित नहीं किया जाता है।

2.1.3 अवस्थापना परियोजनाओं का अभिप्राय उन परियोजनाओं से है, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पम्प स्टोरेज प्लान्ट्स शामिल है तथा अन्य अवस्थापना परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएगी। अन्य ऐसी श्रेणी की अवस्थापना परियोजनाएं नोडल एजेन्सी की संस्तुति एवं उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के आधार पर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोंपरान्त शामिल की जा सकती है।

2.1.4 पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम या इकाई का अभिप्राय निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम/इकाई से है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे संयुक्त उपक्रम/इकाई भी पात्र होंगी जिसमें सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की अंशधारिता 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.1.5 पूंजी निवेश का अभिप्राय पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम/इकाई द्वारा भूमि की लागत को छोड़ कर निम्नलिखित शीर्षों में लागत व्यय वहन करने से है–

भवन	भवन का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो और इसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित होगा। मुख्य अवस्थापना घटकों और अन्य अचल परिसम्पतियों (जैसा कि इस प्रस्तर में निम्नानुसार परिभाषित है)के अधिष्ठापन हेतु नव–निर्मित भवन, सर्विस स्टेशन्स (स्व–प्रयोग हेतु), इन–हाउस आर.एण्ड डी. एवं परीक्षण सुविधांये, भण्डारण सुविधायें और विकास तथा संचालन से सम्बन्धित अवस्थापना परियोजनाओं हेतु निर्मित अन्य भवनों की लागत। नोट– 1. श्रमिकों हेतु छात्रावास/डारमेट्री / Hotels से सम्बन्धित भवनो की लागत इसमें सम्मिलित नहीं है। 2. भवन के निर्माण में सम्पूर्ण पूँजी निवेश का अधिकतम 50 प्रतिशत (जिसमें इस प्रस्तर में उल्लिखित सभी शीर्षों में किया गया पूँजी निवेश सम्मिलित है) व्यय को पूँजी निवेश के रूप में विचार किया जाएगा।
अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, सबमर्सिबल पम्प, वॉटर टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है। हवाई अड्डो के प्रकरण में टर्मिनल्स (यात्री एवं कार्गो), रन–वे, हवाई पट्टी, एप्रन, टैक्सी–वे (केवल एप्रन से रन–वे के बीच), आंतरिक कार्गो तथा विमान पार्किंग आदि के लिए निर्माण की लागत सम्मिलित है।
अचल परिसम्पतियां	ऐसी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक अचल परिसम्पतियों के अधिग्रहण (aquisition) की लागत को पूँजी निवेश में सम्मिलित किया जाएगा। इन अचल परिसम्पतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:– 1.नवीकरण ऊर्जा के भण्डारण हेतु, 2.इन–हाउस आर.एण्ड डी. एवं परीक्षण, 3. सुविधा क्षेत्र में परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन, 4.परिसर में परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले यांत्रिक हैंडलिंग उपकरण,

Manaf

	5.कैप्टिव पावर उत्पादन हेतु संयत्र, 6.जल शोधन हेतु संयत्र, 7.प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयत्र, जिनमें एकत्रीकरण की सुविधा भी शामिल है, उपचार, अपशिष्ट/उत्सर्जन या ठोस/गैसीय खतरनाक कचरे का निस्तारण, डीजल जेनेरेटिंग सेट्स तथा ब्यावलर, 8. हवाई हड्डों के प्रकरण में लिफ्ट, एचवीएसी, एयरफील्ड लाइट, हीटिंग वेंटिलेशन एवं एसी सिस्टम, एक्स–रे तथा सिक्योरिटी स्क्रीनिंग इंस्टॉलेशन जैसे इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन्स, 9. अन्य विविध अचल परिसम्पतियां, जो परियोजना के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक हों।
अवस्थापना सुविधायें	अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसे पावर लाईन्स, पावर फीडर, रेलवे साईडिंग अवस्थापना या एयर स्ट्रिप के साथ अन्य सुविधा, जो परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक हो। नई सड़कों का विकास, सीवर लाईन्स तथा परियोजना परिसर के वॉटर ड्रेनेज, जो मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाईन्स से जुड़ता है, को भी अवस्थापना सुविधाओं में सम्मिलित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अपशिष्ट उपचार प्लान्ट तथा सीवेज उपचार प्लान्ट को भी अवस्थापना सुविधाओं में सम्मिलित किया जाएगा।

2.1.6 अपात्र पूँजी निवेश– कार्यशील पूँजी, गुडविल, प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय, पूंजीकृत ब्याज, प्रौद्यागिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए लेखा–पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय, परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स, पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, अमूर्त परिसंपत्ति तथा विद्युत उत्पादन (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में परिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना हेतु ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.1.7 कट–ऑफ तिथि का अभिप्रायः–

i. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो नीति की प्रभावी अवधि निवेश प्रारम्भ होने की तिथि से है।

ii. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है, तो इस नीति की प्रभावी तिथि से है। यदि केवल भूमि नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व अर्जित की जाती है, तो अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश के अर्न्तगत परिभाषित किसी अन्य मद (भूमि को छोड़कर) में नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात किए गए प्रथम निवेश की तिथि से है।

2.1.8 **पात्र निवेश अवधि** का अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि तक जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है।

ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारम्भ करने की तिथि (सभी श्रेणियों हेतु) प्रभावी तिथि से गत 05 वर्षों के अन्दर हों तथा वाणिज्यिक संचालन प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हों। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रभावी तिथि के पश्चात किया गया हो।

2.1.9 प्रोत्साहनों को कियान्वित करने हेतु निम्नलिखित 03 निवेश प्रतिबद्धता–आधारित अवस्थापना परियोजना श्रेणियों को चिंहित किया गया है। प्रत्येक परियोजना श्रेणी की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित Threshold Investment कहा जाएगा।

श्रेणी	**पूंजी निवेश**
मेगा	रू. 200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु रू. 500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	रू. 500 करोड़ या उससे अधिक किन्तु रू. 3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	रू.3000 करोड़ या उससे अधिक

2.1.10 पात्र पूंजी निवेश का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है जो किसी अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के पश्चात पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि, अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उक्त पूंजी निवेश को ही पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि, निवेश की अवस्थापना परियोजना श्रेणी (मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में किया गया पूंजी निवेश जैसे कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के तिथि के पश्चात, किन्तु (श्रेणी के आधार पर) 5/7/9 वर्षों के अन्दर किए गये पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से कम के निवेश को भी पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी, नीति में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी।

2.2 **वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है जब पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ करना घोषित करता है और सम्बन्धित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र तथा नोडल एजेन्सी के सूचीबद्ध मूल्यांकन कर्ताओं/अभियंताओं/लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार के प्रमाणन को नोडल एजेन्सी द्वारा आन–लाइन सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.3 **'लेटर आफ कम्फर्ट'** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रमों को प्रभावी अवधि के भीतर स्वीकार्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के दावे का राज्य सरकार के स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्गत पत्र से है।

2.4 **नोडल संस्था** का अभिप्राय औद्योगक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर– 16.13.1 के अनुसार प्रोत्साहनों हेतु आवेदनों पर कार्यवाही हेतु इन्वेस्ट यू0पी0 से है।

2.5 **संस्तुति प्राधिकारी** का अभिप्राय नीति के प्रस्तर 16.13.5 के अनुसार अवस्थापना औद्योगिक परियोजनाओं (मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के समान) के आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण (Disbursement) की संस्तुति करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति से तथा नीति के प्रस्तर 16.13.5 के अनुसार मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाओं के आवेदनों की स्वीकृति व वितरण (Disbursement) की संस्तुति करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता वाली उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति से है।

2.6 **स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी** का अभिप्राय नीति के प्रस्तर 16.13.5 के अनुसार अवस्थापना औद्योगिक परियोजनाओं (मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के समान) के आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण (Disbursement) हेतु माननीय मंत्रिपरिषद, उ0प्र0 शासन से है।

3. अनुमन्य प्रोत्साहन–

पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाएगें–

3.1 ऐसी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्मिांचल में 75 प्रतिशत (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों को छोड़ कर) तथा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। (सम्बन्धित क्षेत्रों का जनपदवार वर्गीकरण अनुलग्नक–4 दिया गया है।)

3.2 नीति के प्रस्तर–12.3.1 के विकल्प–1 में निवेश प्रोत्साहन उपादान के संबंध में आधार पूंजीगत् उपादान निम्नवत परिभाषित हैं:–

पूंजीगत् उपादान एवं वार्षिक सीमा			
श्रेणी क्षेत्र	**मेगा**	**सुपर मेगा**	**अल्ट्रा मेगा**
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	ईसीआई का कुल 18 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 15 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में
मध्यांचल एवं पश्मिांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 15 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में

बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 12 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 15 वार्षिक किश्तों में	ईसीआई का कुल 30 प्रतिशत 20 वार्षिक किश्तों में
वार्षिक सीमा	रू 10 करोड़	रू 50 करोड़	रू150 करोड़

4. एल.ओ.सी की स्वीकृति तथा प्रोत्साहनों का वितरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया–

4.1 नीति के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन को प्राप्त करने का अनुरोध करने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम नोडल एजेन्सी के निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात प्रत्येक आवेदन को एक यूनीक आईडी जारी की जाएगी।

4.2 स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु आवेदन की प्रकिया हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 19/2023/1303/77–6–2023–2(एम)/2022 टीसी, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 द्वारा निर्गत शासनादेश लागू रहेगा।

4.3 **निवेश प्रोत्साहन उपादान,** जो आधार पूंजीगत् उपादान नीति के विकल्प–1 के अनुरूप, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (अनुलग्नक–2 एल.ओ.सी स्वीकृति और अनुलग्नक–3 प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु) नोडल एजेन्सी को निम्न अभिलेखों के साथ आवेदन किया जाएगाः–

एल.ओ.सी स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	**प्रोत्साहन वितरण हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख**
क. अनुमानित (Estimated) निवेश के प्रतिभाग (प्रारूप–1) ख. वित्तीय पोषण के साधन–सी.ए का प्रमाण पत्र (प्रारूप–2) ग. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) सी.ए द्वारा प्रमाणित (विस्तृत विवरण के साथ सुझावात्मक शीर्षानुसार – प्रारूप–3) घ. इन्कार्पोरेशन प्रमाण–पत्र की प्रति अ. मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की स्व–प्रमाणित प्रति ब. आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन की स्व–प्रमाणित प्रति स. निदेशकों के अधार कार्ड अथवा पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	**प्रथम चरण** **क.** वास्तविक निवेश का विवरण–सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1) **ख.** पूर्ण किए गए विकास कार्य एवं संचालन के चरण का विवरण–सी.ए. द्वारा प्रमाणित ग. सहायक अभिलेखों की प्रति घ. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) द्वितीय चरण **क.** संचालन का विवरण (वर्तमान क्षमता)–सी.ए. द्वारा प्रमाणित **ख.** अन्य अभिलेख (यदि आवश्यक हो)

द. बोर्ड के संकल्प प्रस्ताव की स्व–प्रमाणित प्रति य. स्व–घोषणा की प्रति (प्रारूप–4) र. अन्य प्रलेख (यदि आवश्यक हो)	

4.4 प्रोत्साहन–लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा निम्नानुसार नोडल संस्था में आवेदन किया जा सकता है–

4.4.1 औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के 12 माह पश्चात प्रोत्साहन स्वीकार्य होगा।

4.4.2 अतः प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 02 चरणों में किया जाना होगा–प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण।

4.4.3 इन नियमों के अनुच्छेद 4.3 में इंगित सुसंगत अभिलेखों के साथ आवेदक (औद्योगिक उपक्रमों) द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के 90 कार्य दिवसों के भीतर प्रथम किस्त के लिए प्रथम चरण का आवेदन नोडल संस्था को ऑनलाइन किया जाना होगा।

4.4.4 इन नियमों के अनुच्छेद 4.3 में इंगित सुसंगत अभिलेखों के साथ वाणिज्यिक संचालन अथवा वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) प्रारंभ होने के 12 माह के उपरांत, जो भी बाद में हो, नोडल संस्था को द्वितीय चरण का आवेदन किया जाएगा। आवेदन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण (Disbursement) हेतु उक्त आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुरूप हो।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया

पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रमों के आवेदनों का मूल्यांकन एवं उन पर कार्यवाही, औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं0–21/2023/1307/77–6–23–2(एम)/2022 दिनांक 14 अप्रैल, 2023 के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के निर्गत किए गए दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–5 में उल्लिखित 'मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी' की निवेश परियोजनाओं के प्रोत्साहन–आवेदनों पर कार्यवाही हेतु निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जाएगी।

6. केस–टू–केस प्रोत्साहन

चूंकि नीति के प्रस्तर–12.4 के अनुसार विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहनों का विशेष रूप से निरूपित प्रोत्साहन (कस्टमाइज्ड) पैकेज प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है, अतः अल्ट्रा मेगा श्रेणी की अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम परियोजनाओं के लिए भी यह प्राविधान अनुमन्य होगा।

पात्र अवस्थापना औद्योगिक उपक्रमों के केस–टू–केस विचार किए जाने हेतु आवेदनों का मूल्यांकन एवं उन पर कार्यवाही औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं0–21/2023/1307/77–6–23–2(एम)/2022 दिनांक 14 अप्रैल, 2023 के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार

प्रोत्साहन नीति–2022 के निर्गत किए गए दिशा–निर्देशों के प्रस्तर–6 में उल्लिखित कार्यवाही हेतु निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जाएगी।

7. विविध प्राविधान

7.1 आवेदक द्वारा एलओसी जारी करने की तिथि से छः (06) माह के भीतर एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) या इन बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन नोट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

7.2 परियोजना की प्रकृति में या परियोजना की लागत में किसी भी संशोधन/परिवर्तन, जिससे इसकी श्रेणी में (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अनुसार) परिवर्तन हो जाए, अर्थात्– मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी, अथवा एलओसी शर्तों में परिवर्तन आदि के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जाएगा तथा नोडल संस्था द्वारा स्वयं या संबंधित विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग) के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा तथा एचएलईसी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7.3 लाभ की निर्धारित सीमा (परिमाण/अवधि) अथवा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर, एलओसी को स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि अवस्थापना औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, या भौतिक तथ्यों को छुपाने के आधार पर लाभ प्राप्त किए गए पाए जाते हैं, तो एलओसी/स्वीकृति को निरस्त कर दिया जाएगा, तथा इकाई को निर्गत किए गए समस्त लाभ राज्य में भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रचलित कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक वितरण/प्रदान की गई छूट की तिथि से वसूली की तिथि तक 12 प्रतिशत चक्रवद्धि ब्याज की दर से वसूल किया जाएगा।

7.4 नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ, राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी। यद्यपि, निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य की किसी अन्य योजनान्तर्गत प्रदत्त उपादान/प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते निर्यात प्रोत्साहन हेतु योजनान्तर्गत प्राप्त की जाने वाली उपदान/प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत उल्लिखित किसी शीर्ष के अंतर्गत न हो। भारत सरकार की योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहन प्राप्त किए जा सकते हैं (जैसा कि नीति के प्रस्तर–12.8 में उल्लिखित है)।

7.5 आवेदकों को नोडल संस्था या सरकार द्वारा संवितरण की शर्त के रूप में समय–समय पर मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, अर्थात– परियोजना के विकास के चरण/प्रचालन के चरण/आदि, यदि कोई हो, परियोजना के बंद होने आदि के स्पष्ट कारणों के साथ विस्तृत विवरण, स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि के प्रमाणित विवरण, यदि कोई हो, अचल परिसंपत्तियों का विक्रय/हानि, यदि कोई हो, तथा प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर परियोजना के गठन, खातों के लेखापरीक्षित विवरण एवं पात्र इकाई की बैलेंस शीट आदि में परिवर्तन।

8. नीतिगत प्रशासन

8.1 नीति की कोई भी स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने व नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) अधिकृत होगी।

8.2 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की प्रस्तर 16.2 के अनुसार, नीतिगत संशोधनों को अनुमोदित करने हेतु केवल मा. मंत्रिपरिषद् अधिकृत है (इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, नीति में संशोधन से पहले अनुमोदित प्रोत्साहनों के प्रतिबद्ध पैकेज को वापस नहीं लिया जा सकता है तथा इकाई संबंधित लाभ हेतु हकदार बनी रहेगी)।

8.3 तथापि, इन नियमों तथा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों में किसी संशोधन की आवश्यकता होने पर, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन ऐसे संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

8.4 प्रोत्साहन योजना से संबंधित समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

9. 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदकों (अवस्थापना औद्योगिक उपक्रमों) को इस दिशा–निर्देश निर्गत होने के 06 माह के भीतर नोडल संस्था (Nodal Agency) के समक्ष आवेदन किया जाना होगा। उक्त अवधि में प्राप्त समस्त पात्र आवेदनों का सम्यक परीक्षण कर अधिकतम 01 वर्ष की अवधि में गुण–दोष के आधार पर 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एलओसी) निर्गत किया जाएगा।

10. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अन्तर्गत अवस्थापना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश तथा कियान्वयन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

19.6.23

(**मनोज कुमार सिंह**)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या– 40 / 2023 / 1977 (1) / 77–6–23–2(एम) / 2022टीसी 3, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**जय वीर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

Annexure-1

Registration Form

(Unique ID generated on submission)

Sl.	Head	Details	Supporting documents
1	**Name of applicant**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
2	**Contact details of applicant** **a. Email** **b. Mobile** **c. Address**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
3	**PAN No of applicant**		Copy of PAN
4	**Name of proposed unit**		
5	**Brief Project details**		
6	**Location of proposed unit**		
7	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
8	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
9	**GSTIN of unit**		Copy of GSTIN
10	**IEC Code (if available)**		
11	**Registration or License for setting up Industrial Undertaking**		**Enclose acknowledgement of IEM/ IL**
12	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**		

Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

13	**Proposed Investment (INR Cr)**		
14	**Estimated Employment**		
15	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
16	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Annexure-2

Application Form for Sanction of Letter of Comfort under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**Name of proposed unit**		DPR in prescribed format
3	**Brief Project details**		DPR in prescribed format
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		DPR in prescribed format
5	**Date from which capital investment has commenced, or is proposed to commence (Cut-off date, as opted)**		DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
6	**Proposed investment (INR Cr)**		DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
7	**Category of the project (Tick mark)**	Mega/ Super Mega/ Ultra Mega	DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
(8) Estimated Employment			DPR in prescribed format

Year	Total

9	**Brief overview of phases of proposed investment and commercial operations/ project stage completion**		
Sl	Phase (Year)	Estimated Investment (INR Cr)	Date of start of Commercial operations/ Project stage completion

10	**Proposed date of Commencement of Commercial Operations**		DPR in prescribed format

Part-B: Incentives requested -

Sl	Item	Details
1	**Investment Promotion Subsidy (Rs Cr)** Base Capital Subsidy (Option1)	
2	**Stamp Duty exemption**	
3	If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)	
3A	If Y - Name of such Scheme	
3B	If Y - Incentive claimed (INR Cr)	

Annexure-3

Application Form for Disbursal of Incentives under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**LoC No & Date of Issuance**		Copy of LoC sanctioned
3	**Name of proposed unit**		
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
5	**Actual investment (INR Cr)**		Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
6	**Mention the phase of investment for which the application is made**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
7	**Category of the project (Tick mark)**	Mega/ Super Mega/ Ultra Mega	Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
8	**Date of Commencement of Commercial Operations**		

Part B- Incentives claimed –

(1) Details of Incentives Claim (INR Cr)		
	Investment Promotion Subsidy:	
1	Base Capital Subsidy (Option1)	
2	Stamp Duty exemption	
(2) Declarations of incentives claimed (instalments) under IIEPP 2022		
3A	No of instalments of incentive already claimed	
3B	Incentive instalment already claimed (INR Cr)	

(3) If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)		
4A	If Y - Name of such Scheme	
4B	If Y - Incentive claimed under such scheme (INR Cr)	

Note: Besides, the format prescribed in these rules, the applicant will need to submit the following supporting documents –

a) Registered document showing purchase price, Receipt of payment of stamp duty, receipt of payment of registration fee

b) If land purchased from UPSIDC/DI/FIs/Banks in auction, supporting documents for price paid.

c) Detailed cost estimates of building and civil works constructed or to be constructed (as per DPR/Appraisal Note) and supported with layout plans and cost estimates prepared by external consultants/CA firms and cost incurred duly certified by statutory auditors.

d) The cost of proposed/actual capital investment in all the heads should be shown itemized in accordance with the provisions of the Rules for scrutiny, verification, and certification.

Annexure 4

List of Districts – Region wise

पूर्वान्चल	बुन्देलखण्ड	पष्चिमांचल
फैजाबाद मण्डल	**झांसी मण्डल**	**आगरा मण्डल**
1. फैजाबाद	1. झांसी	1. आगरा
2. अम्बेडकरनगर	2. जालौन	2. फिरोजाबाद
3. बराबंकी	3. ललितपुर	3. मैनपुरी
4. सुल्तानपुर	**चित्रकूट**	4. मथुरा
5. अमेठी	4. बांदा	**अलीगढ मण्डल**
गोरखपुर मण्डल	5. चित्रकूट	5. अलीगढ
6. गोरखपुर	6. हमीरपुर	6. हाथरस
7. देवरिया	7. महोबा	7. कासगंज
8. महाराजगंज		8. एटा
9. कुषीनगर		**मुरादाबाद मण्डल**
इलाहाबाद मण्डल	**मध्यॉचल**	9. मुरादाबाद
10. इलाहाबाद	**कानपुर मण्डल**	10. बिजनौर
11. कौषाम्बी	1. कानपुर नगर	11. सम्भल
12. फतेहपुर	2. कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	12. रामपुर
13. प्रतापगढ़	3. इटावा	13. अमरोहा
वाराणसी मण्डल	4. औरैया	**मेरठ मण्डल**
14. वाराणसी	5. फर्रूखाबाद	14. मेरठ
15. चन्दौली	6. कन्नौज	14. बुलन्दषहर
16. जौनपुर	**लखनऊ मण्डल**	16. हापुड
17. गाजीपुर	7. लखनऊ	17. बागपत
मिर्जापुर मण्डल	8. हरदोई	18 गौतमबुद्ध नगर
18. मिर्जापुर	9. लखीमपुर खीरी	19 गाजियाबाद
19. सन्तरविदासनगर (भदोही)	10. रायबरेली	**सहारनपुर मण्डल**
20. सोनभद्र	11. सीतापुर	20. मुज़फ्फरनगर
आजमगढ़ मण्डल	12. उन्नाव	21. षामली
21. आजमगढ़		22. सहारनपुर
22. बलिया		**बरेली मण्डल**
23. मऊ		23. बरेली
देवीपाटन मण्डल		24. बदायूँ
24. गोण्डा		25. पीलीभीत
25. बहराइच		26. षाहजहॉपुर
26. बलरामपुर		
27. श्रावस्ती		
बस्ती मण्डल		
28. बस्ती		
29. सन्तकबीरनगर		
30. सिद्धार्थनगर		

<Format – 1>

FORMAT FOR DPR (Suggestive)

1. **Executive Summary**
2. **The Project**

    2.1 Details of Project

    2.2 Land & Locations details

    2.3 The Company- (Including Details of Group Companies & Financial Performance during last 3 years)

    2.4 Promoters' Background

    2.5 Detailed Break up of Cost of Project

        2.5.1 Land Cost

        2.5.2 Stamp Duty & Registration Fees

        2.5.3 Building Cost

        2.5.4 Other Construction Cost

        2.5.5 Fixed Assets

        2.5.6 Cost of Developing Infrastructure facilities

        2.5.7 Any other (Cost)

        2.5.8 Total-Cost of Project

    2.6 Present Status of the Project

3. **Means of financing**

    3.1 Equity: - Promoters' Contribution & Source/Internal Accruals/Details of Fund Arrangement from External Sources etc.

    3.2 Debt Contribution Source & Cost of Debt

4. **Details of Proposed Building- Section wise Layout, Measurement, Type of Construction etc.**
5. **Details of Fixed Assets**

    5.1 Technology Used

5.2 Possible Source of Equipment's/Machine Suppliers

5.3 Cost & Quantity

5.4 Specification & Supplier

5.5 Erection & Commissioning Arrangement

5.6 Pollution/Wastage- Controlling Measures

5.7 Machines to be installed for adhering to pollution norms

5.8 Any other project specific equipment/ asset details

6. Project Development Process

6.1 Stages of development - Flow Diagram

6.2 Layout Plan

6.3 Impact

7. Infrastructure Requirement &Source

7.1 Power

7.2 Water & Sewerage

7.3 Others

8. Manpower Requirement- Breakup

8.1 Direct Manpower Employment Requirement (Skilled, Semiskilled, Unskilled etc.)

8.2 Indirect Employment Generation Possibilities

9. Market

9.1 Sector Background - Market Scenario , Major Players, Demand Supply Gap & Opportunities, Marketing Strategy, Network

9.2 Approach

10. SWOT Analysis

11. Financial Analysis

11.1 Cost Estimates

11.2 Working Capital Requirement

11.3 Revenue Projections

11.4 Fund Flow Statement

11.5 Financial Ratios

11.6 Break Even

11.7 Term loan

11.8 Internal Rate of Return

11.9 Techno-Commercial Viability Assessment

11.10 Project Implementation Key Dates (from first investment to last investment)

11.11 Total Fixed Capital

11.12 Gross Block & Net Worth of the Company

<Format – 2>

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Fixed Capital Investment made by the Company in the Project Break-up of Cost of Project- Investment Details

M/s. .....,

(Rupees in Crores)

Sl. No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 04.11.2022, then		If investment made in the proposed project after 04.11.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial operations (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Date till 04.11.2022	Indicate amount invested from 04.11.2022 till the date of commencement of commercial operations (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 04.11.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ineligible heads							
1.	Land Cost (Actual price/ allotment price)			.....			
2.	Stamp Duty paid						
3.	Registration fees paid						
Eligible heads							
4.	Building Cost						
5.	Other constructio						

	n cost						
6.	Fixed Assets						
7.	Cost of developing infrastructure facilities						
8.	Any other cost						
Total (1 to 8)							

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP IIEPP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

<Format – 3>

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Sources of Investment made by the Company in the proposed Project Investment Details

M/s. .....

(Rupees in Crores)

S.No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 04.11.2022, then		If investment made in the proposed project after 04.11.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial operations (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Date till 04.11.2022	Indicate amount invested from 04.11.2022 till the date of commencement of commercial operations (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 04.11.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**Equity**						
1.1	Equity Share Capital						
1.2	Internal Cash Accruals						
1.3	Interest Free Unsecured Loans						
1.4	Security Deposit						
1.5	Advances from Dealers						

1.6	Other, If any						
2.0	**Loans**						
2.1	From FI's						
2.2	From Bank						
2.3	Other, If any						
3.0	**Total**						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP IIEPP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

<Format – 4>

Declaration

The information provided while filling online form on Nivesh Mitra Portal to avail sanction of incentives under UP IIEPP 2022 is completely true, and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not applied for benefits under any sector-specific or other policy of the Government of Uttar Pradesh.

It is also certified that, the details of financial assistance taken from Government of India Schemes, if any as provided in the application is true and in case of any dovetailing of this scheme with Central Government policies/schemes, the Company would not claim incentives more than upper ceiling defined in the policy from all the schemes put together and in such a case Government of Uttar Pradesh financial assistance shall be reduced to that extent.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits released to me/us under UP IIEPP 2022, if the said benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible whatsoever the reason.

Signature of Authorised Signatory with

Name, Designation and Office Seal

Date:

Place: